

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : कोमल

विपक्षी : श्री श्यामलाल

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 08/23

जीसीएमएस : 2023/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 29.07.2024</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का मूल वाद में पेश करने पर मूल वाद के साथ तलब की गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद में प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश कर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा की गई।</p> <p>अतः मूल वाद आज दिनांक को विद्दो किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थीगण के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

